समाहरणालय, किशनगंज

(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

निविदा

संभावित बाढ़ 2017 से निपटने हेतु बाढ़ आपदा के समय खोज एवं बचाव हेतु महाजाल क्रय करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महाजाल के क्रय हेतु मुहरबन्द निविदा दिनांक 30.6.17 के 02:00 बजे तक आमंत्रित निम्नांकित शर्तो के साथ की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक 30.6.17 के 3:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ट में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदा –दाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनधि भाग ले सकते है :–

क्र0	सामग्रियों का विवरण	आकार	वजन
1	3	4	5
1	महाजाल *(Nylon)* बड़ी	*100' X 25'Xgap3"*	

निविदा की शर्ते

निविदा डालने हेतु निम्नांकित शर्तो का अनुपालन आवश्यक है :–

1. निविदा दाताओं को रू0 10000.00(दस हजार) रूपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पदनाम से अथवा जिला रसीद के माध्यम से जिला नजारत, किशनगंज में जमा करना होगा।
2. दो सील बन्द लिफाफे में अलग–अलग तकनीकि एवं वित्तीय निविदाओं को होना अनिवार्य होगा, साथ ही दोनों निविदाएँ एक सीलबन्द लिफाफे में समर्पित की जायेगी।
3. निविदा के साथ अपनी दुकान की अनुज्ञप्ति, अद्यतन वाणिज्य–कर, निबंधित वैट *(Vate)* संख्या एवं आयकर विभाग का स्वच्छता प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. निविदा में महाजाल का साईज एवं दर को स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।
5. स्वीकृत की गयी निविदा के निविदादाता नमूना के अनुसार महाजाल का भंडारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास लेंगे।
6. निविदादाताओं में स्वीकृत निविदा–दाता को नियमानुसार एकरारनामा करना होगा तथा आपूर्ति आदेश के एक सप्ताह के भीतर स्वीकृत नमूना के अनुरूप निविदा में अंकित संख्या साईज, गुणवत्ता के अनुसार सामान की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देगें एवं आवश्यकतानुसार किशनगंज जिला के अंचल मुख्यालयों तक पहुँचा कर देना होगा।
7. स्वीकृत आदेश के अनुरूप आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्त्ताओं के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूरित सामग्रियों का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. महाजाल की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
9. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।

10. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

11. आपूर्ति की गई सामग्रियों के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियामनुसार *VAT* एवं *IT* देय होगा, जिसकी कटौती एक मुश्त भुगतान के समय की जायेगी।

12. विस्तृत जानकारी हेतु जिला पदाधिकारी, किशनगंज के वेबसाईट http://kishanganj.bih.nic.in पर देखा जा सकता है

ह०/—
जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

ज्ञापांक 378 /जि०आ०प्र०, दिनांक 17 / 06 /2017

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, किशनगंज/उप विकास आयुक्त, किशनगंज/अनुमंडल पदाधिकारी,किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इसका विस्तृत प्रचार–प्रसार अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला नजारत उपसमाहर्त्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सहायक आयुक्त, वाणिज्य–कर,किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई.टी. प्रबंधक, किशनगंज को जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मोटरयान निरीक्षक, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, अररिया प्रमंडल अररिया सह किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, अररिया /कटिहार/पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं निविदा को सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ समर्पित।

15/06/17

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।